रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 855] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2003/भाद्र 27, 1925
No. 855] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2003/BHADRA 27, 1925

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2003

का.आ. 1074(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 35 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 100 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किराया नियतन समिति (प्रक्रिया) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन गठित किराया नियतन समिति अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा नामनिर्देशित समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. समिति के अधिवेशन—समिति का अधिवेशन मेट्रो रेल प्रशासन के मुख्यालय पर ऐसे समय पर, जो अध्यक्ष अवधारित करे, होगा।

4. अधिवेशन बुलाने की शक्ति—अध्यक्ष, किसी भी समय समिति का अधिवेशन बुला सकेगा।

5. अधिवेशन के लिए सूचना—(1) समिति का अधिवेशन प्रत्येक सदस्य को लिखित में तीन दिन से अन्यून की सूचना देकर बुलाया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को उस अधिवेशन में निपटाए जाने वाले कारबार की सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

(2) किसी सदस्य को सूचना की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रत्येक सदस्य को सम्बोधित करके लिफाफे में डाक द्वारा की जाएगी।

(3) सदस्यों में से किसी को दुर्घटनावश किसी ऐसी सूचना दिए जाने में लोप होने की दशा में, यह किसी ऐसे अधिवेशन में पारित किए गए किसी संकल्प को अविधिमान्य नहीं बनाएगी।

6. अधिवेशन की अध्यक्षता—अध्यक्ष समिति के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

7. गणपूर्ति—अधिवेशन की गणपूर्ति अध्यक्ष और एक सदस्य होगी।

Scanned by CamScanner

8. अधिवेशन का कार्यवृत्त—(1) समिति के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त एक पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा, जिसे यथाशक्य शीघ्र अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षित किया जाएगा और जो कार्यालय समय में किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला होगा।

(2) प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित कोई सदस्य, समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली किसी पुस्तक या रजिस्टर में अपने नाम के हस्ताक्षर करेगा।

9. समिति का विनिश्चय—समिति का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

10. समिति की रिपोर्ट—समिति अपनी रिपोर्ट सिफारिशों सहित मेट्रो रेल प्रशासन को ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 36 के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगी।

11. मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा सहायता—(1) मेट्रो रेल प्रशासन समिति को सभी आधारभूत निवेश, जिसके अन्तर्गत नियत लागत पर आंकड़े, भिन्न लागत, राइडरशिप, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों पर संदत्त ब्याज, प्रत्याभूति लाभांश, यदि कोई हो, जो समिति के शेयरधारकों को संदेय हैं, उपलब्ध कराएगा।

(2) मेट्रो रेल प्रशासन समिति को विभिन्न यात्रा दूरियों के लिए प्रस्तावित किराया उपलब्ध कराएगा।

(3) समिति, मेट्रो रेल प्रशासन से ऐसी अतिरिक्त जानकारी और आंकड़े मांग सकेगी, जिन्हें वह अपनी सिफारिशें किए जाने के लिए आवश्यक समझे और मेट्रो रेल प्रशासन समिति को ऐसी जानकारी और आंकड़े उपलब्ध कराएगा।

12. अवशिष्ट उपबन्ध—ऐसी प्रक्रियाओं से संबंधित विषय, जिसके संबंध में इन नियमों में स्पष्ट रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक दशा में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे और उन पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय समिति पर अबद्धकर होगा।

13. शिथिल करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, इन नियमों में से किसी के उपबन्धों को शिथिल कर सकेगी।

[फा० सं० के-14011/14/2003-एमआरटीएस]

न. वेणुगोपालन, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2003

S.O. 1074 (E).–In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (2) of Section 100, read with Sub-section (1) of Section 35 of the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Fare Fixation Committee (Procedure) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) "Committee" means the Fare Fixation Committee constituted by the Central Government under Sub-section 1 of Section 34 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Committee appointed under Sub-section (3) of Section 34 of the Act;

(d) "Member" means a Member of the Committee nominated by the Central Government or, as the case may be, the Government of National Capital Territory of Delhi under Sub-section (4) of Section 34 of the Act;

(e) Words and expressions used herein but not defined shall have meanings respectively assigned to them in the Act

3. **Meetings of the Committee.**–The Committee shall meet at the headquarters of the metro administration at such times as the Chairperson may determine.

4. **Power to call a meeting.**–The Chairperson may, at any time, call a meeting of the Committee.

5. **Notice for meeting.**–(1) The meeting of the Committee shall be called by giving each Member not less than three days notice in writing, and each Member shall be furnished a list of business to be disposed of in that meeting

Scanned by CamScanner

(2) A notice may be served upon any Member either personally or by post in an envelope addressed to each Member.

(3) Any accidental omission to give any such notice to any of the Members shall not invalidate any resolution passed at any such meeting.

6. **Presiding at meeting.**—The Chairperson shall preside at every meeting of the Committee.

7. **Quorum.**—The quorum of a meeting of the Committee shall be the Chairperson and one Member.

8. **Minutes of the meeting.**—(1) Minutes of the proceedings at each meeting of the Committee shall be recorded in a book, which shall be signed as soon as practicable by the Chairperson and shall be open to inspection by any Member during office hours.

(2) The names of the Members present at each meeting shall be recorded in the minute book.

(3) A Member present at any meeting of the Committee shall sign his name in a book or register to be provided by the Committee for the purpose.

9. **Decision of the Committee.**—The decision of the Committee shall be by a majority of the Members sitting.

10. **Report of the Committee.**–The Committee shall submit its report along with recommendations to the metro railway administration within such period as specified in the order made by the Central Government under Section 36 of the Act.

11. **Assistance by the metro railway administration.**—(1) The metro railway administration shall provide all basic inputs, including data on fixed cost, variable costs, ridership, interest to be paid on national and international loans, guaranteed dividends, if any, payable to the shareholders, etc., to the Committee.

(2) The metro railway administration shall provide to the Committee suggestive fares for different travel lengths.

(3) The Committee may call for such additional information and data from the metro railway administration as it may deem necessary for making its recommendations and the metro railway administration shall provide such information and data to the Committee.

12. **Residual provision.**–Matters relating to the procedures, with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Committee.

13. **Power to relax.**—The Central Government may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the provisions of any of these rules.

[F. No. K-14011/14/2003-MRTS]

N. VENUGOPALAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Scanned by CamScanner